


26.07.2024:-पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थीया राजविन्द्र कौर जरिये अधिवक्ता श्री सन्तोष भाटी द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश किया। प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र न्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ विद्वा करने के आदेश फरमाया जावे। प्रार्थीया अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया वाद अवलोकन वादी के अधिवक्ता ने फर्द अहकाम पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा नोट लगाया गया। प्रार्थीया का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर न्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो ।


 सहायक कलक्टर
 एवं उपखण्डाधिकारी
 हनुमानगढ़

